


17/6/16
अपराध

प्रयावली आज राजलोक लोक अदालत
कैंप हीरियावेडी पर पेरा हुई/अपराधी
एवं अफीम कच्चीगठ उपरिगत ही
कच्चीगठ की अंतर्गत सी० आई०
की कन्फर्म करने पर हैलराज
मही है।

अलः आदेश दिनांक 27.10.15
की पारित अंतर्गत निषेधाज्ञा की
बुधवार के निष्काण पर्यन्त -
पुल्ट किया जाता है।

प्रयावली फैसला सुभार होकर
बुधवार सि० नं० 118/15 के साथ
संलग्न रहे।

जि० थि कक सि० 17/6/16
की लोक अदालत में सुमाय।


17/06/16